दिनांक–26.02.2026 को सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार

बैठक की कार्यवाही

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए विभाग के अपर सचिव द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तथा कुछ महत्वपूर्ण दिशा–निदेश दिए गए:–

- विधि विभाग अंतर्गत Toilet Complex के निर्माण के क्रम में पुनः मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि मॉडल नक्शे के अनुरूप यदि पर्याप्त स्थल उपलब्ध नहीं है तो संबंधित कार्यपालक अभियंता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश से संपर्क कर स्थल को चिन्हित करें। चिन्हित स्थल के अनुरूप स्थल प्लान बनाकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश से स्वीकृति के पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई करें। यदि जमीन पर्याप्त नहीं है, उस स्थिति में Toilet Complex का निर्माण (G+1) करने का भी निदेश दिया गया। इस संबंध में प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदन के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता के माध्यम से प्रशासनिक स्वीकृति के लिए विधि विभाग को भेजने का निदेश दिया गया।
- अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के द्वारा लॉयर्स हॉल के निर्माण कार्य के संबंध में फर्नीचर के अधिष्ठापन के संबंध में यह निदेश दिया गया कि नया अधिष्ठापन अभी नहीं किया जाएगा। विधि विभाग से इस पर विचार विमर्श के उपरान्त निदेश दिया जाएगा।

अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल।

➢ <u>विधि विभाग</u>

- औरंगाबाद जिलान्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, दाउदनगर में 20 पी0ओ0 आवास (G+5) के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। गेस्ट हाउस (Transit Hall) के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन मुख्य अभियंता (निरूपण) को उपलब्ध करा दिया गया है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्य को ससमय पुरा करने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालन–मुख्य अभियंता (निरूपण)/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद

- समस्तीपुर जिलान्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, समस्तीपुर के परिसर में शेड निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा बताया गया कि उक्त परिसर में पेड़ के कारण कार्य बाधित है। पेड़ कटने के उपरान्त कार्य आरंभ करा दिया जाएगा।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने हेतु निदेश दिया गया।

  अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर

- कटिहार जिलान्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, मनीहारी के परिसर में 12 पी0ओ0 (G+3) के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, कटिहार द्वारा बताया गया कि उक्त परिसर में 550 पेड़ है, जिसके कारण कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है।

  अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, कटिहार

- सीवान जिलान्तर्गत सी0जे0एम0 कोर्ट परिसर सीवान में चहारदिवारी निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सीवान द्वारा बताया गया है कि अतिक्रमण के कारण कार्य बंद है। अतिक्रमण मुक्त होने के पश्चात कार्य कराया जाएगा।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा अतिक्रमण मुक्त करा कर कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

  अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सीवान

➢ गृह (कारा) विभाग

- पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी में 4 अदद वॉच टावर के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पटना सिटी द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य का स्थगन करने हेतु प्रशासी विभाग को पत्र दिया गया है।

  अनुपालन–प्रशासी विभाग

- सहरसा जिलान्तर्गत मंडल कारा, सहरसा की चहारदिवारी के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल सहरसा द्वारा बताया गया कि 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जमीन विवाद होने के कारण 2024 तक कार्य बंद था। अभी कार्य प्रगति में है परन्तु समयसीमा बढ़ाने हेतु पत्र दिया गया है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेश दिया गया।

  अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा

- लखीसराय जिलान्तर्गत मंडल कारा, लखीसराय के पेरीमीटर वॉल की ऊँचाई को 21 फीट कराने के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय द्वारा बताया गया कि 4 साल पुरानी चहारदिवारी को तोड़कर नई चहारदिवारी का निर्माण करना है। वर्तमान में कार्य रूका हुआ है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने हेतु निदेश दिया गया।

  अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लखीसराय

➢ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

- नवादा जिलान्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नवादा द्वारा बताया गया कि जमीन पर्याप्त नहीं है। स्थल पर पर्याप्त Setback नहीं होने के कारण, स्थल पर कार्यालय का निर्माण संभव नहीं है। जिला पदाधिकारी को नवीन स्थल उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिया गया है।

  अनुपालन–प्रशासी विभाग/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नवादा

➢ ग्रामीण विकास विभाग

- अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय के निर्माण के क्रम में नींव ढ़लाई के दौरान विभागीय अभियंताओं कों कार्य स्थल पर निश्चित रूप से उपस्थित होने का निदेश दिया गया। साथ ही साथ उक्त कार्य का विडियो/फोटो में संबंधित पदाधिकारियों का भी उपस्थित होना अनिवार्य है।

  अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल।

- अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय के निर्माण के क्रम में आने वाली बाधाएँ यथा जर्जर भवनों को तोड़ने का कार्य एवं कार्य स्थल पर पेड़ हटाने का कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया। कार्यपालक अभियंताओं द्वारा पेड़ हटाने हेतु निधि की मांग की गई। उक्त के संबंध में अधियाचना करने का निदेश दिया गया।

  अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल।

- सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा यह निदेश दिया गया है कि दिनांक–28.02.2026 तक का विपत्र जो कोषागार स्तर पर लंबित है, उस विपत्र का बिल नं0, टोकन नं0, राशि एवं संबंधित प्रशासी विभाग का नाम के साथ शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशक (अनुश्रवण) के माध्यम से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि सभी विपत्रों को संयोजित कर वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जा सके।

  अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल।

➢ पंचायती राज विभाग

- निदेशक (अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग द्वारा सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया है कि पंचायत सरकार भवनों से संबंधित पंचायती राज्य विभाग का **Panchayat Nischay Soft Portal** को प्रत्येक माह सही तरीके से अद्यतन किया जाय, साथ ही भवन निर्माण विभाग के **PSB (PMIS) पोर्टल** पर योजनाओं को निरंतर अद्यतन करना सुनिश्चित करें। इसे अतिआवश्यक समझा जाय। यदि इसमें कोई कठिनाई आती है तो लिखित रूप में विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि प्रशासी विभाग को इससे अवगत कराया जा सके।

अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल

➢ ए0सी0 / डी0सी0 विपत्र, वाद / अवमाननावाद, सेवान्त लाभ तथा विभागीय शिकायत निवारण समिति से संबंधित

- अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा सभी प्रमंडलों में लंबित AC/DC विपत्र जिनका समायोजन किया जाना है, इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र करने का निदेश दिया गया, इस हेतु किसी भी तरह के असमंजस की स्थिति को वित्त विभाग के प्रभारी पदाधिकारी डॉ0 अरूण कुमार (दूरभाष सं0–9911231821) के सहयोग से स्पष्ट किया जा सकता है।

अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ज्ञापांक–डी0डी0–1–विविध–49 / 05 / 2025–26(पार्ट–VII)________ दिनांक–________

(हस्ताक्षर) 17.3.26

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–डी0डी0–1–विविध–49 / 05 / 2025–26(पार्ट–VII) 2606(अ) दिनांक– 17/3/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने एवं संबंधित प्रशासी विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 17.3.26

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव